



बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक-4/STA-P3-232/2012 (पार्ट) परि०-6011 पटना, दिनांक 30/11/2017

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार एवं झारखंड राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिटों की स्वीकृति के निमित्त दिनांक-19.06.2017 तक प्राप्त आवेदनों की सुनवाई हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक-13.12.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पुराना सचिवालय, पटना स्थित अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी है।

उक्त बैठक में दिनांक- 29.05.2017 को सम्पन्न राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में बिहार एवं झारखंड राज्य से संबंधित विभिन्न स्थगित मामलों के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा।

ससमय बैठक में भाग लें।

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।